न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 461 सन 2022

अनवान :-

1. बिमला पत्नी स्व जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. संजय कुमार पुत्र स्व जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मनीष कुमार पुत्र स्व जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. भादर पुत्र ज्ञाना जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 05/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 92/92 के खसरा संख्या 24/1 की कुल 4.4640हैक में से 305/558 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादर पुत्र ज्ञानाराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादर पुत्र ज्ञानाराम के नाम से दर्ज 305/558 हिस्सा में से जगदीश प्रसाद पुत्र मेहरचन्द ने 1.0120हैक भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 25.11.2008 को भूमि खरीद की गई थी जिसका कब्जा मौका पर लिया जाकर भूमि काश्त करने लगा । जगदीश पुत्र मेहरचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 1 ता 3 है जो अपने पिता जगदीश पुत्र मेहरचन्द द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद की गई भूमि को काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि आज भी विक्रेता भादर वल्द ज्ञाना के नाम से दर्ज है क्योकि वादीगण के पति/पिता के द्वारा भादर पुत्र ज्ञाना से जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही हुआ है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीगण अपने पति /पिता के द्वारा खरीद की गई भूमि को राजस्व रिकार्ड में जगदीश पुत्र मेहरचन्द के देहान्त होने पर उसके जायज वारिस होने की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में से वादीगण के पिता जगदीश प्रसाद पुत्र मेहरचन्द के द्वारा खरीद की गई 1.0120हैक भूमि को वादीगण बहिब अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड दर्ज है जिसमे से 1.012हैक भूमि जरिये बैयनामा जगदीश प्रसाद पुत्र मेहरचन्द को

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 25.11.2008 को बेचान कर जाकर मौके पर भूमि का कब्जा सम्भला दिया गया था वर्तमान में जगदीश पुत्र मेहरचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान उसकी पत्नी/पुत्र वादीगण है जो वाद भूमि का काश्त करते आ रहे है प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादीगण के पति/पिता को बेचान की गई भूमि को वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने कथनो के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 92/92 के खसरा संख्या 24/1 की कुल 4.4640हैक में से 305/558 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादर पुत्र ज्ञानाराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादर पुत्र ज्ञानाराम के नाम से दर्ज 305/558 हिस्सा में से जगदीश प्रसाद पुत्र मेहरचन्द ने 1.0120हैक भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 25.11.2008 को भूमि खरीद की गई थी जिसका कब्जा मौका पर लिया जाकर भूमि काश्त करने लगा । जगदीश पुत्र मेहरचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 1 ता 3 है जो अपने पिता जगदीश पुत्र मेहरचन्द द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद की गई भूमि को काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि आज भी विक्रेता भादर वल्द ज्ञाना के नाम से दर्ज है क्योकि वादीगण के पति/पिता के द्वारा भादर पुत्र ज्ञाना से जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही हुआ है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीगण अपने पति /पिता के द्वारा खरीद की गई भूमि को राजस्व रिकार्ड में जगदीश पुत्र मेहरचन्द के देहान्त होने पर उसके जायज वारिस होने की हैसियत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 92/92 के खसरा संख्या 24/1 की कुल 4.4640हैक में से 305/558 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादर पुत्र ज्ञानाराम के नाम सें दर्ज है।

वादीगण का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भादर पुत्र ज्ञानाराम के नाम से दर्ज 305/558 हिस्सा में से जगदीश प्रसाद पुत्र मेहरचन्द ने 1.0120हैक भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 25.11.2008 को भूमि खरीद की गई थी जिसका कब्जा मौका पर लिया जाकर भूमि काश्त करने लगा । जगदीश पुत्र मेहरचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण संख्या 1 ता 3 है जो अपने पिता जगदीश पुत्र मेहरचन्द द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद की गई भूमि को काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि आज भी विक्रेता भादर वल्द ज्ञाना के नाम से दर्ज है क्योकि वादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

पति/पिता के द्वारा भादर पुत्र ज्ञाना से जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही हुआ है जिसका अकंन खरीददार जगदीश प्रसाद जो वादीगण का पति /पिता के देहान्त होने पर राजस्व रिकार्ड में वादीगण अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया उसके द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि में से 1.0120हैक भूमि वादीगण के पति/पिता जगदीश प्रसाद को दिनांक 25.11.2008 को बेचान की गई थी जो उसके कब्जा काश्त में थी जगदीश प्रसाद पुत्र मेहरचन्द का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण है इसलिये जगदीश प्रसाद के द्वारा खरीद की गई भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल पेश किया जा चुका है ।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 92/92 की कुल 4.4640हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.4400 हैक भूमि दर्ज में से 1.0120हैक भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05/07/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बिमला पत्नी स्व जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. संजय कुमार पुत्र स्व जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. मनीष कुमार पुत्र स्व जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. भादर पुत्र ज्ञाना जाति जाट निवासी ललानाबास उतरादा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 461 सन 2022 निर्णय दिनांक– 05/07/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 92/92 की कुल 4.4640हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 2.4400 हैक भूमि दर्ज में से 1.0120हैक भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner